कार्यालय नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर (राज.)

क्रमांक : नविप्र/भवन मानचित्र शाखा/ 2370 दिनांक : 10/11/03

~~श्री/श्रीमती~~ महावीर जैन विद्यालय संस्थान

~~पिता/पति~~ हिरन मगरी सेक्टर नम्बर 4

उदयपुर

विषय : **न्यास के तथा न्यास द्वारा अनुमोदित योजनाओं के आवासीय भूखण्डों पर भवन निर्माण का अनुमति पत्र ।**

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक 4065 दिनांक 14-4-03 के अनुसरण में नगर विकास प्रन्यास की हिरन मगरी सेक्टर नम्बर 4 नामी योजना के भूखण्ड संख्या 940 ब्लाक संख्या .... राजस्व ग्राम 4 खसरा संख्या — के योजना प्लान के भूखण्ड संख्या विद्यालय क्षेत्रफल 5400-0 वर्ग फीट/~~वर्ग मीटर/वर्ग गज~~ पर निम्नलिखित शर्तों के साथ भवन निर्माण की इजाजत दी जाती है।

1 भूखंड पर निर्माण निम्नलिखित सैट बैक छोड़कर किया जावेगा।
   - सामने का सैट बैक 20-0 बीस फिट फीट
   - पीछे का सैट बैक 10-0 दस फिट फीट
   - पार्श्व का सैट बैक पार्श्व 1- 10-0 दस फीट पार्श्व 2- 10-0 दस फीट

2 भूखंड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल के मानचित्र मे दर्शाये अनुसार प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3 आपके भूखंड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 60-0 साठ फीट/~~मीटर~~ है कृपया सड़क की उक्त चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

4 आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे ।

5 आप भूखण्ड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

6 आप भूखण्ड में निर्धारित भवन रेखाओं से आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे ।

7 आपके द्वारा भूखण्ड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं न्यास में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आँप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुडवाया जाकर न्यास द्वारा आपसे खर्चा वसूल किया जावेगा।

8 इस भवन की इजाजत से ~~भूमि~~/भूखण्ड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में न्यास एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

9 यह स्वीकृति मात्र ~~आवासीय~~/~~व्यावसायिक~~/संस्थागत उपयोग तथा भूतल + प्रथम मंजिल तक के भवन निर्माण हेतु दी जा रही है स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपा कर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर न्यास द्वारा जारी स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जावेगी।

10 भूखण्ड के सामने जहां सीवर लाईन उपलब्ध है वहां आपको सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।

11 भूखण्ड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे एवं इस पानी को घरेलु उपयोग में लिया जावे।

12 भूखण्ड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावें तथा भवन निर्माण में कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।

13 आवंटी द्वारा भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखण्ड को रहन